कार्यालय प्रधान आयुक्त
OFFICE OF THE PRINCIPAL COMMISSIONER
सी.जी.एस.टी, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क,नागपुर
CGST, CUSTOMS & CENTRAL EXCISE,NAGPUR
जीएसटी भवन तेलंगखेड़ी रोड , सिवल लाइन, नागपुर -440001
GST BHAVAN, TELANGKHEDI ROAD, CIVIL LINE, NAGPUR-440001
Tel.No.0712-2547666 Email: commr-cexngpr1@nic.in

स्थापना आदेश क्र./ Establishment order No. 05 /2020

दिनांक / Dated : 05.10.2020

विषय- स्था.- सीजीएसटी एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय नागपुर -I में निरीक्षक संवर्ग में नियुक्ति-संबन्धित

Sub:-Estt.- Appointment in the cadre of Inspector in CGST&Central Excise, Nagpur-I Commissionerate.

***

श्री. ऋषभ कुमार (अन्य पिछड़ा वर्ग) कर्मचारी चयन आयोग द्वारा नामांकित, को सीजीएसटी एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क वर्ग-'ख' (अराजपत्रित) के निरीक्षक के रूप में, अस्थायी और अगले आदेशों तक, वेतन मैट्रिक्स स्तर 7 में मूल वेतन रुपये 44900/- और निरीक्षक संवर्ग के लिए समय-समय पर स्वीकृत महंगाई व अन्य भत्तों के साथ, नियुक्त किया जाता है। यह नियुक्ति व्यक्ति विषेष के कार्य गृहण करने की तिथि से प्रभावित होगी ।

Shri Rishabh Kumar (OBC), nominated by the Staff Selection Commission is hereby appointed as Inspector of CGST & Central Excise Group-B (Non-Gazetted), temporarily and until further orders, in the pay matrix Level 7 (Basic Pay Rs 44,900/-) and such dearness and other allowances as admissible to the Cadre of Inspector from time to time. The appointment shall take effect from the date on which the individual joins his/her duty.

2. यह नियुक्ति अस्थायी है और जाति/समुदाय प्रमाण पत्र, चरित्र व पूर्ववृत्त एवं उम्मीदवार द्वारा दिए गए उम्र और योग्यता के प्रमाण पत्रों की उचित माध्यम से जांच पर आधारित है। यदि जांच में पाया जाता है कि उम्मीदवार का अ.जा./अ.ज.जा. से होने का दावा गलत है या कोई प्रतिकूल अभियुक्ति मिलती है तो उसकी सेवा बिना कारण बताए समाप्त की जा सकती है और भारतीय दंड संहिता, 1860, संशोधित, के प्रावधानों के अंतर्गत गलत दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए अन्य कार्यवाही की जा सकती है।

The appointment is provisional and is subject to verification of Caste/Community certificate, character and antecedents and also certificates submitted by the candidate regarding age and eligibility, through proper channels. If the verification reveals that the claim of candidate that he/she belongs to Scheduled Caste/Scheduled Tribe is false or any adverse remark/s received, his/her services will be liable to termination forthwith without assigning any reasons and without prejudice to such other action as may be taken under the provisions of the Indian Penal Code, 1860, as amended, for production of false certificates.

3. उसे भारत के संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ लेनी होगी या इस संबंध में निर्धारित फॉर्म में सत्य निष्ठा अभिपुष्टि देना होगा।

He/ She will be required to take an oath of allegiance to the Constitution of India or make a solemn affirmation to that effect in prescribed form.

4. उसे भारत सरकार के अपने कर्मचारियों के लिए निर्धारित और जिस आयुक्तालय में उसकी नियुक्ति हुई है उसमें प्रचलित आधार-व्यवहार व अनुशासन के नियम-कायदों का पालन करना होगा ।

He/She will have to confirm to the rules and norms of discipline and conduct prevailing in the Commissionerate where he/she is posted and also those imposed by the Government of India on its employees.

5. यदि वह पहले से ही कार्यरत है तो उसे अपने मूल विभाग से यथाविधि कार्यमुक्त होना होगा और कार्यभार ग्रहण करते समय इस संबंध में साक्ष्य प्रस्तुत करना होगा।

If he/ she is already employed, he/she has to get properly relieved from his/her parent department and produce evidence to that effect at the time of joining.

6. यदि उसने अपना नाम किसी रोजगार कार्यालय में दर्ज कराया है और कार्ड अभी तक वापिस जमा नहीं किया है तो ड्यूटि पर रिपोर्ट करते समय उसे अपना रोजगार कार्यालय पंजीकरण कार्ड सौंप देना चाहिए

He/ She should surrender the employment exchange registration card at the time of his/her reporting for duty, if he/she had registered his/her name in any employment exchange and the card is not yet surrendered.

7. ड्यूटि पर रिपोर्ट करते समय उसे यह भी बताना चाहिए कि क्या वह पहले से ही रोजगार के लिए किसी प्रतियोगी परीक्षा में आवेदन कर/उपस्थित हो चुका/ चुकी है ।

He/She should also intimate, at the time of reporting for duty, if he/ she has already applied/appeared in any other competitive examination for employment.

8. संबंधित प्रधान आयुक्त/आयुक्त को पूर्ण अधिकार है कि वह दूसरे शासकीय कार्यालयों या कहीं और नियुक्ति के लिए उसके आवेदन को प्रेषित करे या रोक दे ।

The Principal Commissioner/Commissioner concerned has full discretion to forward or withhold his/ her application for appointment in other Government offices or elsewhere.

9. उसे निर्धारित अवधि में विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करना होगा ।

He/ She should pass the Departmental Examination within the prescribed period.

10. उसे कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से दो वर्षों तक परिवीक्षा अवधि में रखा जाएगा। निरीक्षक के संवर्ग में उसका अवरोधन/नियमितीकरण परिवीक्षा अवधि को सफलतापूर्वक पूर्ण करने व विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने पर निर्भर होगा ।

He/She will be kept on probation for a period of two years from the date on which he/she is taken to duty. His/Her retention/confirmation in the cadre of Inspector will depend upon his/her successful completion of the probation period and also on passing the departmental examination.

11. उसे नये पुनर्गठित परिभाषित योगदान पेंशन प्रणाली (न्यू पेंशन स्कीम) जैसा वित्त मंत्रालय, आर्थिक मामलों का विभाग, ई.सी.बी और पी.आर मण्डल की फाइल सं. 5/7/2003-ECB&PRदिनांक 22.12.2003, में वर्णित है, के अंतर्गत रखा जाएगा ।

He/She will be considered under the new restructured defined contribution Pension System (New Pension Scheme) as notified vide F.No. 5/7/2003 ECB&PR, dated 22.12.2003 of ECB&PR Division, Department of Economics, Ministry of Finance.

12. पद ग्रहण करने के लिए उसे कोई यात्रा भता अदा नहीं किया जाएगा । विभागीय उम्मीदवारों के मामले में लागू नियमों के अनुसार विचार किया जाएगा । A

No T.A. will be paid to him/her for joining the post. In respect of departmental candidates, their cases will be considered as per the rules in force.

13. भोपाल अंचल के निरीक्षक के सामान्य संवर्ग में उसकी परस्पर वरिष्ठता लागू नियमों/दिशा निर्देशो के अनुसार निर्धारित होगी ।

His/Her inter-se seniority in the cadre of Inspector of Bhopal Zone will be fixed as per the rules/guidelines in force.

14. उसे अपने धर्म परिवर्तन के विषय में तुरंत ही नियुक्ति अधिकारी को सूचित करना चाहिए ।

He/She should intimate the appointing authority as and when he/she changes his/ her religious faith.

15. निरीक्षक के सामान्य संवर्ग में उसका स्थानांतरण भोपाल अंचल के किसी भी आयुक्तालय में किया जा सकता है । पदोन्नति होने पर, उसको भारत में कहीं भी स्थानांतरित किया जा सकता है ।

He/She is liable to be transferred anywhere in the common cadre of Inspector in all Commissionerates of Bhopal Zone. On promotion, he/she is liable to be transferred anywhere in India.

16. उसे जाति प्रमाण पत्र निर्धारित प्रोफॉर्मा में जमा करने का निर्देश दिया जाता है, यदि पहलेही निर्धारित प्रोफॉर्मा में जमा नहीं कराया गया है ।

He/ She is directed to submit the Caste Certificate in prescribed proforma, if not submitted earlier in the required proforma.

17. यदि उम्मीदवार द्वारा की गई कोई घोषणा या प्रस्तुत की गई सूचना गलत साबित होती है या यह पाया जाता है कि उम्मीदवार ने जानबूझ कर कोई महत्वपूर्ण सूचना छुपाई है तो उसको सेवा से हटाया जा सकता है और अन्य दूसरी कार्यवाही, जो आवष्यक हो, भी की जा सकती है ।

If any declaration given or information furnished by the candidate is proved to be false, or if the candidate is found to have willfully suppressed any material information, he/ she will be liable to be removed from service and also to such other action, as deemed necessary.

18. यदि पुलिस सत्यापन में कुछ भी प्रतिकूल पाया जाता है, तो उनकी सेवायें बिना कारण बताये समाप्त की जायेंगी ।

In case anything adverse is found in police verification his/her services will be terminated without assigning any reason or notice by the department.

19. यदि इस नियुक्ति आदेश के उपरोक्त नियम व शर्तें श्री. ऋषभ कुमार को स्वीकार्य हैं तो उनको कार्यालय प्रधान आयुक्त, सी.जी.एस.टी, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, नागपुर-I, जीएसटी भवन तेलंगखेड़ी रोड, सिविल लाइन, नागपुर में सभी मूल प्रमाण पत्रों के साथ 15 अक्टूबर 2020 रिपोर्ट करने का निर्देश दिया जाता हैं ।

If the above terms & conditions of this appointment Order are acceptable to **Shri Rishabh Kumar** he is directed to report at the **Office of the Principal Commissioner, CGST, Central Excise, Nagpur-I, GST Bhavan, Telangkhedi Road, Civil Line, Nagpur** on **15th October 2020** along with all original certificates.

20. यदि वह उपरोक्त कार्यालय में निर्धारित तिथि पर रिपोर्ट नहीं करता तो यह नियुक्ति आदेश, उसे कोई भी सूचना दिये बिना, निरस्त समझा जाएगा।

If he/she fails to report to the above office on the stipulated date, this Appointment Order will be treated as cancelled without any further reference to him.

21. वह निर्धारित प्रपत्र में वैवाहिक स्थिति की घोषणा प्रदान करेगा यदि पहले प्रस्तुत नहीं किया गया है ।

He/ She shall produce declaration of Marital Status in prescribed form, if not submitted earlier.

22. यह आदेश आयुक्त सीजीएसटी एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, नागपुर -I की स्वीकृति से जारी किया जा रहा है ।

This issues with the approval of the Commissioner, CGST & Central Excise, Nagpur-I.

To,
Shri Rishabh Kumar,
At-Nawanagar, Post- Nawanagar,
P.S. Bidapur, Dis-Vaishali,
State-Bihar-844503

05.10.2020

बृजेन्द्र चौधरी /Brijendra Chowdhary
संयुक्त आयुक्त (का/स) /Joint Commissioner (P&V)

C.No.II(31)01/2020/Newly-Insp/ET-I/INSP/CGL-17 3977 दिनांक: 05 .10.2020

प्रतिलिपि सूचनार्थ:-

1. The Additional Commissioner (CCO), Customs, CGST & Central Excise, Nagpur Zone, Nagpur.
2. The C.A.O, Et-II, CGST & CX, Nagpur-I Commissionerate.
3. The Superintendent (Vig.) CGST & CX, Nagpur-I Commissionerate.
4. The Superintendent (Systems), CGST & CX, Nagpur-I Commissionerate to upload on website.
5. Guard file.

05.10.2020

बृजेन्द्र चौधरी /Brijendra Chowdhary
संयुक्त आयुक्त (का/स) /Joint Commissioner (P&V)

बृजेन्द्र चौधरी (भा. रा. से.)
संयुक्त आयुक्त
Brijendra Chowdhary (IRS)
Joint Commissioner